तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, सदस्य
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :– श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री आर0पी0शर्मा, उपराजकीय अभिभाषक

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–8–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण के पिता चतरूराम ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी नोहर के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मोजा भोगराना के साबिक खसरा नंबर 55 की 30.9 बीघा जो हाल खसरा नंबर 203 में 15.9 बीघा व खसरा नंबर 189 में 3 बीघा पर पैमूद हुई है। वादी व प्रतिवादी नंबर 3 मनीराम ने कुरडाराम पुत्र गिरधारी से दिनांक 19–4–71 को खरीद की थी व खरीद के समय से ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नंबर 203 की 15.9 बीघा वादी व प्रतिवादी नंबर 3 मनीराम के नाम सही रूप से दर्ज कर दी गई परंतु खसरा नंबर 189 की 3 बीघा भूमि को गलत रूपसे गोचर दर्ज कर दी व बाद में उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी। वादी ने उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु घोषणा व खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुन कर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–02 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट्स ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16–8–03 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परे है। अपीलार्थीगण खरीदशुदा भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 30.9 बीघा के खातेदार थे। इस तथ्य को प्रतिवादीगण ने अस्वीकार नहीं किया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 189 रकबा 3 बीधा के जो साबिक खसरा नंबर प्रतिवादी रेस्पोडेंट ने जवाबदावे में दर्शाये है उसको मिलान क्षेत्रफल या अन्य साक्ष्य से साबित नहीं किया है जबकि अपीलांट्स ने जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया उससे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 53 का ही भाग होकर मेल खाती है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयो ने यह गलत माना कि विवादित भूमि खसरा नंबर 189 का भाग नहीं है और विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में सम्मिलित होने से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 अनुसार प्रत्येक तनकी पर अलग अलग निष्कर्ष अंकित करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश अपीलीय न्यायालय को निरस्त करना चाहिये था। विवादित भूमि गौचर कैसे दर्ज हुई, इस सबंध में कोई देस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ। विवादित आराजी गौचर दर्ज होने बाबत् रेस्पोडेंट को सिद्ध करना था। बंदोबस्त अधिकारी को विवादित आराजी गोचर करने का अधिकार नहीं था और न ही राज्य सरकार को विवादित आराजी वन विभाग को आंवटन करने का अधिकार था। राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय आदेश 41 नियम 31 के अनुसार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी अपीलार्थी का वाद डिक्री किया जाना चाहिये था तथा वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिर्कोड में उनका नाम अंकित किया जाना चाहिये था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को उसके समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन, परिशीलन एवं विवेचन विश्लेषण करते हुये विधि अनुसार निष्कर्ष दिया जाना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे। विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित भूमि गौचर भूमि है तथा वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है। विवादित आराजी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबंधित है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	वादी अपीलार्थी का प्रकरण में मुख्य कथन यह रहा है कि रोही मोजा भोगराना के साबिक खसरा नंबर 55 की 30.9 बीघा जो हाल खसरा नंबर 203 में 15.9 बीघा व खसरा नंबर 189 में 3 बीघा पर पैमूद हुई है। वादी व प्रतिवादी नंबर 3 मनीराम ने कुरडाराम पुत्र गिरधारी से दिनांक 19–4–71 को खरीद की थी व खरीद के समय से ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नंबर 203 की 15.9 बीघा वादी व प्रतिवादी नंबर 3 मनीराम के नाम सही रूप से दर्ज कर दी गई परंतु खसरा नंबर 189 की 3 बीघा भूमि को गलत रूपसे गोचर दर्ज कर दी व बाद में उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा नंबर 189 की 3 बीघा भूमि साबिक खसरा नंबर 53 की भूमि से पैमूद हुई है, ऐसा कोई साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है अर्थात हाल खसरा नंबर 189 साबिक खसरा नंबर 53 से नहीं बना है। वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–3 में हाल खसरा नंबर 189 की 146.08 बीधा भूमि का गत खसरा नंबर अंकित नहीं है परंतु गत खसरा में 146.08 बीघा भूमि ही हाल खसरा नंबर 189 में पैमूद हुई है। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 53 की 30.9 बीघा भूमि से पैमूद नही हुई है व दस्तावेज प्रदर्श पी–4 खसरा मिलान में खसरा नंबर 53 की भूमि हाल खसरा नंबर 202, 203 व 205 पर पैमूद होना साबित है। इसके अतिरिक्त वादी अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दोनो अधीनस्थ न्यायालयों अथवा हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का कभी कब्जाकाश्त रहा हो। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल नक्शा प्रदर्श पी–2 में भी खसरा नंबर 189 व 203 सन 1964–65 में भी खसरा नंबर 189 में 146.08 बीघा भूमि अंकित है। जमाबंदी में भी भूमि चारागाह व वन विभाग के नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने यह माना है कि खसरा नंबर 189 की 3 बीघा भूमि वादी अपीलार्थीगण की खरीदशुदा भूमि नहीं है व न ही भूमि पर वादी अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त है। उक्त भूमि पूर्व में गौचर व वर्तमान में वन विभाग के लिये आरक्षित है तथा वादी का उक्त भूमि में कोई हित नहीं है। हमारी सूविचारित राय में विवादित आराजी प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार खसरा नंबर 53 से पैमूद होना साबित नही है तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चारागाह व वन विभाग की भूमि होने से प्रतिबंधित भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इसके अतिरिक्त वन विभाग की भूमि के सबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने उभय पक्ष को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	सुन कर राजस्व अभिलेख के आधार पर तनकीवार विवेचन व विश्लेषण करते हुये वादी अपीलार्थीगण का वाद नियमानुसार सही खारिज किया है। हमारी सुविचारित राय में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण हमारे समक्ष दौराने बहस ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं कर पाये जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (आर.के.जायसवाल) सदस्य (मुकेश कुमार शर्मा) सदस्य	